भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1863
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जीएनएसएस स्पूफिंग घटनाएं

1863. श्री के. सी. वेणुगोपाल:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री राहुल गांधी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विमानपत्तनों पर जीएनएसएस/जीपीएस स्पूफिंग और जामिंग की वर्ष-वार, विमानपत्तन-वार और राज्य-वार कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं;

(ख) क्या हाल ही में जीएनएसएस स्पूफिंग की घटनाओं में कोई वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्पूफिंग घटनाओं के लिए चिह्नित किए गए प्राथमिक स्रोत और योगदान देने वाले कारक क्या हैं और साथ ही उड़ान सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुमानित जोखिम क्या हैं;

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा शुरू की गई उपचारात्मक कार्रवाइयाँ और साथ ही अनुकूल रिसीवर या जामिंग रोधी जैसी एंटी-स्पूफिंग तकनीकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित है; और

(ङ) क्या विशेषकर केरल जैसे बढ़ते हवाई यातायात वाले तटीय राज्यों में जीएनएसएस व्यवधानों के विरुद्ध विमानपत्तन की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): हवाई क्षेत्र में जीएनएसएस हस्तक्षेप के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) परामर्शी परिपत्र एएनएसएस एसी 01/2023 दिनांक 24.11.2023 के प्रकाशन के बाद ही जीपीएस हस्तक्षेप के मामलों की रिपोर्टिंग प्रारंभ हुई।

नागर विमानन महानिदेशालय परिपत्र के प्रकाशन के बाद रिपोर्ट किए गए जीपीएस हस्तक्षेप के कुल मामले (नवंबर, 2023 से नवंबर, 2025) 1951 हैं।

(ख) और (ग): अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ), इंटरनेशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस (आरएफआई) के रूप में जीएनएसएस स्पूफिंग की पहचान करता है। वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) इस मामले की जांच कर रहा है।

(घ) और (ङ): डीजीसीए ने हवाई क्षेत्र में जीएनएसएस हस्तक्षेप का समाधान करने के लिए परामर्शी परिपत्र एएनएसएस एसी 2023 का 01 दिनांक 24.11.2023 जारी किया था। इसके अलावा, डीजीसीए ने 'आईजीआई हवाईअड्डे के आसपास जीपीएस स्पूफिंग/जीएनएसएस हस्तक्षेप घटनाओं की तत्समय रिपोर्टिंग' के लिए 10 नवंबर 2025 को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

आईसीएओ जीएनएसएस मैनुअल में निवारक और प्रतिक्रियाशील उपायों का विवरण देने वाली शमन योजना शामिल है, जिसमें निरंतर खतरे की निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और शमन बाधाओं की तैनाती के लिए रूपरेखा शामिल है।

*****